तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण
26.04.2018	पत्रावली पेश हुई। सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। संक्षेप में मामला इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ द्वारा दिनांक 16.01.2013 को यह इस्तगाशा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर सायल अमरसिंह फेफाना निवासी थाना नोहर जो सट्टा करने का आदि है व एक जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर सरे आम सट्टे की खाईवाली कर गरीब तबके के लेागों को लालच देकर आम जमता का आर्थिक शोषण करता है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढावा मिलता है। उसकी आपराधिक प्रवृति कई कारणों से रिकार्ड पर नही आती। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक हैं। गैर सायल के विरूद्ध 2 अभियोग पंजीबद्ध होकर न्यायालय में चलान पेश हुआ था जिस पर वह सजायाब फरमाया गया है। गैर सायल के विरूद्ध इस्तगाशा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

गैर सायल ने निवेदन किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है रोजी रोटी के लिए उसने कुछ समय सट्टा लिखने का कार्य किया था जो उसने छोड दिया वह अब मेहनत मजदुरी कर शांति पुर्ण ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इस संबंध में सरपंच व हल्का पटवारीगण द्वारा भी लिख दिया है कि वर्तमान में वह मेहनत मजदुरी कर जीवन यापन कर रहा है। किसी प्रकार का आपराधिक कार्य नही करता है। गैर सायल ने निवेदन किया कि उसकी मजबुरी को व गरीबी हालत को मध्यनजर रखते हुए इसके विरूद्ध दायर इस्तगाशे को निरस्त फरमावें। वह अब एक शांतिप्रिय नागरिक है किसी प्रकार के आपराधिक कार्य में लिप्त नही ना ही वह भविष्य में ऐसा कार्य करेगा जिससे उसके विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह तो स्वयं गैर सायल भी स्वीकार करता है कि वह सट्टा लिखने का कार्य करता था लेकिन गत 2–3 वर्ष से शांति पुर्वक मेहनत मजदुरी कर जीवन यापन कर रहा है ना ही वर्ष 2012–13 के बाद उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है परन्तु उसके विरूद्ध दो अभियोग दर्ज हुए थे, दोनों में ही चालान होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं। इस प्रकार आपराधिक प्रवृति तो सिद्ध होती है।

अतः ऐसी स्थिति में नरमी का रूख अपनाते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गैर सायल को आदेश दिए जाते है कि वह एक सप्ताह के लिए थाना गोगामेडी में उपरिथत होकर अपनी उपस्थित दर्ज करावें व थानाधिकारी गोगामेडी को आदेश दिये जातें है कि गैर सायल की गतिविधियों पर नजर रखते हुए एक सप्ताह के पश्चात गैर सायल के आचरण व गतिविधियों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। थानाधिकारी के नाम से आदेश जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)